

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर पंक्तिबद्ध आवास (Row Housing) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सुश्री छाया टण्डन पुत्री श्री मदन मोहन टण्डन द्वारा नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या-100 (पार्ट) भावापुर लूकरगंज, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित पंक्तिबद्ध आवास (08 आवासीय) मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 28-06-2016 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. प्रत्येक इकाई पर 01 वृक्ष लगाना होगा तथा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
5. स्थल का उपयोग/अधिभोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : डी0/183/STCE/16 दिनांक 12.04.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन बाध्यकारी होगा (छायाप्रति संलग्न)।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
8. प्रस्तावित मानचित्र 08 भूखण्डों पर आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष मौके पर विचलन/शमन की स्थिति पायी जाती है तो आवेदिका को शमन कराया जाना आवश्यक होगा।
10. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों पर ही किया जाय। भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदिका का होगा।
11. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य आवेदिका को स्वतः पूर्ण करना होगा।
12. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
13. यदि आवेदिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

14. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
15. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
16. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
17. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
18. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

 11.7.16

(गुडाकेश शर्मा)

सचिव/अपर सचिव